न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमू जिला जयपुर

मु.नं. [illegible] / 2019

[illegible]

1. [illegible] पुत्र नारायण
2. [illegible] पुत्र नारायण

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र कान्हा, जाति अहीर, निवासी ग्राम कानपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251(ए), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक ....

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कानपुरा, पटवार हल्का महारकला, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर मे आराजी भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.45 हैक्टेयर स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के आगे आम रास्ता खसरा नम्बर 347 स्थित है जिसके लगवा खसरा नम्बर 345 की पूर्व सीमा के सहारे उत्तर–दक्षिण तथा खसरा नम्बर 360 की पूर्वी सीमा के उत्तर–दक्षिण मे मौके पर रास्ता कायम है जो कि सीमेन्टेड रोड एवं मोहरम रोड स्थित है जो कि खसरा नम्बर 361 की सीमा तक आता है तथा मौके पर आवागमन इसी से होता है।

खसरा नम्बर 364 में आने–जाने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है तथा ना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता स्थित है। उक्त भूमि के सबसे नजदीक रास्ता मद संख्या 2 मे वर्णित ही है, जिससे की प्रार्थीगण को आवागमन के लिए एवं अपने कृषि कार्य हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 361 के उत्तर पूर्वी सीमा से उत्तर से दक्षिण की ओर 30 मीटर लम्बाई [illegible] प्रार्थीगण को रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक [illegible] खातेदारी भूमि में आने–जाने का यही एक मात्र [illegible] रास्ता मौजूद नही है।

अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 361 की [illegible] सीमा के उत्तर से दक्षिण की ओर 30 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा रास्ता जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, की प्रार्थीगण को युक्तियुक्त आवश्यकता है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता या रास्ते का विकल्प मौजूद नहीं है। दिनांक 20.08.2019 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ते हेतु बातचीत की गई कि आपकी जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से उक्त अनुसार रास्ता दे दो, जिसके बदले में वाजिब कीमत अदा कर देंगे। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि हमारी जमीन में से कोई रास्ता नही देगें, जिससे न्यायालय श्रीमान् के प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 361 में संलग्न नक्शे में बरंग लाल से वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 361 की पूर्वी सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण 30 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट कानपुरा में पेश हुई। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 21.11.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट वाके ग्राम कानपुरा प0म0 म्हार कलां के आराजी ख0न0 364 रकबा 0.45 है0 मुताबिक जमाबंदीनुसार रामलाल हणमान पि0 नारायण हिस्सा 1/2 राहिन आर0एम0जी0बी0 बैंक शाखा सामोद मंगली पत्नी नारायण हिस्सा 1/4 बाबुलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार (प्रार्थीगण) के नाम दर्ज रिकार्ड है।

मौके पर वाके ग्राम कानपुरा के आराजी ख0न0 347 रोड से लगवा खसरा नम्बर 345 की पूर्वी सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर मौके पर सीमेंटेड रोड बनी हुई है। जो आराजी ख0न0 345 किस्म गै0मु0 गड्डा रकबा 0.10 है0 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 345 की दक्षिणी पूर्वी कोने से लगती हुई सीमा आराजी ख0न0 360 किस्म गै0मु0 चाह रकबा 0.08 है0 मुताबिक जमावंदीनुसार कल्याण पुत्र काना हिस्सा 1/4 वगैरह शेष हिस्सा जमावंदीनुसार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त आराजी के आवागमन हेतु खातेदारो द्वारा रास्ते के उपयोग मे लिया जा रहा है। मौके पर पडत है। उक्त आराजी ख0न0 360 निजी खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादीगण को प्रकरण के प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी ख0न0 को शामिल करने के वाद ही अन्तर्गत धारा 251 क में रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव होगा।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.45 हैक्टेयर शामलाती भूमि है जिसमें अन्य हिस्सेदार मंगली पत्नी नारायण, हणमान पुत्र नारायण भी है तथा खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 364 रकबा 0.45 हैक्टेयर के अलावा खसरा नम्बर 417, 418, 522, 522/1385 है, खाता संख्या 179 के कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर शामलाती खातेदारी भूमि है। जो प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा केवल खसरा नम्बर 364 का उल्लेख किया है अन्य खसरा नम्बरान के संबंध में तथ्यों को छुपाया है तथा शामलाती खाते में अन्य सह खातेदारों को प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नही बनाया है जो कि प्रार्थीगण की [illegible] को प्रकट करता है। प्रार्थना पत्र रिकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार नही बनाये ज[illegible] का[illegible]नुक्से से ग्रसित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:56 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 360 [illegible] भूमि है जिसमें मिन उत्तरदाता का 1/4 हिस्सा है व शेष हिस्सा अन्य खातेदारों का है। इसके बाबत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा कोई रास्ता नही चाहा है। [illegible]सरा नम्बर 360 रकबा 0.08 हैक्टेयर गै.मु. चाह है, रिकॉर्ड में रास्ता नही है, प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य वर्णित किये है। प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 364 में जाने के लिए मौके पर पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा मौके पर चालू है। खसरा नम्बर 360 की दक्षिणी सीमा के पूर्व दिशा मे स्थित खसरा नम्बर 368, 367, 366 में से होकर खसरा नम्बर 364 में प्रार्थीगण आ जा रहे हैं व नजदीक रास्ता है, इसके बावजूद मिन उत्तरदाता की भूमि में रास्ता लेने के संबंध में

Scanned with CamScanner

बदनियती से प्रार्थना पत्र पेश किया है। स्वयं प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 364 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 361 के मध्य पुख्ता डण्डे का निर्माण कर रखा है। इसलिए खसरा नम्बर 367, 368, 366 की पश्चिमी सीमा से होकर खसरा नम्बर 364 में आ जा रहे है, मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 361 मे नया पूर्व में वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद मांगा जा रहा है, जिस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की संशोधित धारा 251क का उद्देश्य कृषकों को कृषि भूमि में आने–जाने के रास्ते के संबंध में प्रावधान है इसमें कृषकों को उनकी सुविधा के हिसाब से रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है अर्थात् प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 364 के लिए रास्ता मांगा गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि खाता संख्या नया. 179 में वर्णित अन्य खसरा नम्बरान 417, 418, 522, 522/1385 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर के संबंध में कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही किया है, ना ही इन खसरा नम्बरान में आने–जाने के संबंध में कोई रास्ते का उल्लेख किया है अर्थात इन खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा बदनियतीवश प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 364 की खातेदारी प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों की शामलाती कृषि भूमि है जबकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर के सभी सह खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि अन्य सह हिस्सेदारों को प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 300 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि गै.मु. चाह है जिसके हिस्सेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है, ना ही उक्त भूमि रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण व अन्य हिस्सेदारों की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 364 से लगते खसरा नम्बर 366, 367,368 है जो नजदीक है व इनमे वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।

मिन उत्तरदाता की भूमि खसरा नम्बर 361 व प्रार्थीगण व अन्य की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 364 के मध्य सीमा पर प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 364 में पुख्ता डण्डे का निर्माण कर रखा है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 361 में कोई रास्ते की आवश्यकता नही है वरन नजदीक व वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 366, 367 व 368 में स्थित है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है प्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थना पत्र धारा 251क आर. टी. एक्ट के विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा मूल पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब एवं रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं का बगोर अवलोकन किया गया। [illegible] गांवों के संघ अभियान के दौरान राज्य सरकार की मंशा के [illegible] हेतु उभयपक्षकारों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 65 [illegible] एवं आवेदन पत्र का निपटान) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 23.1[illegible]21 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें प्रार्थी के द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते पर पुख्ता निर्माण एवं बाडा होना पाया गया। पुख्ता निर्माण को खुर्द बुर्द कर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नियमानुसार उचित नही है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय (Maintainable) नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0 एक्ट का अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/12/15

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner